कि समाज-विरोधी तत्व उसका नाजायज फायदा न उठा सकें; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और क्या कुछ संसद् सदस्यों ने भी उसके लिए मांग की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) और (ख). सदाक्ष के मनकों के आयात की अनुमति देने के लिए कुछ संसद् सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से सुझाव आये थे। तदनुसार चालू आयात नीति में इसके आयात की सीमित आधार पर अनुमति दी गई है। इस नीति के अन्तर्गत वास्तविक प्रयोगकर्ताओं और निर्यात सदनों द्वारा आयात किये जा सकते हैं। जो प्रयोग-कर्ता स्वयं आयात नहीं कर सकते उन्हें उचित कीमत पर माल मिल सके, इस उद्देश्य से भारतीय राज्य व्यापार निगम की मार्फत भी कुछ आयातों की व्यवस्था की जा रही है।

## राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से निकाली गई अतिरिक्त राशि (ओवरड्राफ्ट)

818. श्री अनन्तराम जयसवाल :
डा० सरोजिनी महिषी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि अनेक राज्य सरकारों ने भारतीय रिजर्व बैंक से निर्धारित राशि से अधिक राशि निकाली है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1978 तक राज्यवार निकाली गई अतिरिक्त राशि कितनी है और प्रत्येक मामले में इस सम्बन्ध में 30 जून, 1977 को स्थिति क्या थी; और

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस प्रकार निकाली गई अतिरिक्त राशि को बट्टे खाते डालने के लिए उनसे अनुरोध किया है ताकि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक 30 जून, को छुट्टी मनाता है, इसलिए 28 जून, 1977 और 28 जून, 1978 की स्थिति के अनुसार एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ओवरड्राफ्टों का ब्यौरा दिया गया है। राज्य सरकारों को भुगतान की देय तारीखों से पहले, राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय करों के हिस्से की राशि, सहायक अनुदान और अन्य देय राशियां दे करके ये ओवरड्राफ्ट 29 जून, 1977 और 29 जून, 1978 को निपटा लिए गए थे। कुछ मामलों में अर्थोपाय अग्रिम भी दिया गया।

(ग) कुछ राज्य सरकारों ने ओवरड्राफ्टों को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है।

विवरण

राज्यों द्वारा लिए गए ओवर ड्राफ्ट

(करोड़ रुपये)

| राज्य | 20-6-77 की स्थिति के अनुसार | 28-6-78 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| 1 बिहार | 66.07 | 86.81 |
| 2 हिमाचल प्रदेश | 0.96 | — |
| 3 केरल | 31.67 | — |
| 4 मध्यप्रदेश | 4.00 | 43.32 |
| 5 नागालैण्ड | — | 3.20 |
| 6 उड़ीसा | 4.25 | — |
| 7 पंजाब | 60.89 | 73 19 |
| 8 राजस्थान | 7.97 | 21.19 |
| 9 त्रिपुरा | 0.67 | — |
| 10 उत्तर प्रदेश | 71.72 | 141.64 |
| 11 पश्चिमी बंगाल | 71.46 | 128.05 |
| जोड़ | 319.66 | 497.40 |

**Quantity of Sugar Contracted for Export**

819. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the total quantity of sugar contracted for export during the current year indicating the names of the countries and the quantity being exported to each one ; and

(b) in view of the prospects of sugar production of 64 lakhs tonnes of sugar, what measures are being taken to further increase export thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) So far, in the current year 4·936 lakhs Metric Tonnes of Sugar has been contracted for export. Out of this 1600 MT is being exported to Maldives and 20,000 MT to North Korea. The destination of the rest of the contracted quantity of sugar can't be indicated at present, as the same will be known only at the time of actual shipment.

(b) Export of sugar by India have to be restricted within the quota under the International Sugar agreement. During the calendar year 1978, the quota is 6·5 lakh tonnes only. All necessary steps are being taken to ensure export of the quota in full.